(3)

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
सिंचाई प्रमण्डल सिकन्दरा
जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार
अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना संख्या–05/2019–20

पत्रांक........................... सिकन्दरा, दिनांक / /2019

पथ निर्माण विभाग का अधिसूचना सं0–से0प्र0उप0–26/विविध–07–02/2018–1725 (S) पटना, दिनांक 18.02.2019 एवं विभागीय पत्रांक–1/PMC/विविध/957/2014–155 दिनांक 20.02.2019 एवं मुख्य अभियंता सि0 सृ0 भागलपुर के पत्रांक 1210 दिनांक 10.06.2019 के आलोक में प्रयुक्त होने वाले निर्माण सामाग्रियों एवं यंत्र संयत्र की आपूर्ति हेतु अल्पकालिन दर उद्रण (कोटेशन) आमंत्रण सूचना।

1 सिंचाई प्रमण्डल सिकन्दरा अन्तर्गत खरीफ सिंचाई अवधि 2019 में कराये जाने वाले आकस्मिक कार्यो एवं अन्य कार्यो में प्रयुक्त होने वाले सामग्रियों/भाड़े पर मशीनरी आपूर्ति हेतु आपूर्ति कर्त्ता निबंधित व्यक्ति/कम्पनी/एजेंसी द्वारा द्वि–लिफाफा पद्धति (तकनीकी वीड एवं वितीय वीड) में दर आमंत्रित किया जाता है। (दर दाता द्वारा परिशिष्ट–क पर संलग्न प्रपत्र में अंकों तथा शब्दो में अपना दर अंकित किया जायेगा।

2 आपुर्ति की जाने वाली सामाग्रियों की सूची :– निर्माण समाग्री–ईट, बालु (कोर्स एवं लोकल) सिमेंट ,स्टोन चिप्स,हयुम पाइप (300mm,450mm,600mmव्यास का), विभिन्न व्यासों का छड़, बाँस, खाली सिमेंट का बोरा, सुतली, सेंटरीग–सटरीग कार्य हेतु प्रयुक्त सामाग्री, (यंत्र संयत्र) Generator set, tractor, Hydraulic excavator (poclain) Front End Loadar (JCB) जिलापदाधिकारी जमुई द्वारा स्वीकृत दर पर चालक सहित निरीक्षण वाहन (ईधन रहित) नोटः– आपूर्ति कर्त्ता ऊपर दिये गए यंत्र संयत्रों में से किसी एक या सभी यंत्र संयत्रों के लिए दर दे सकता है।

3 दर उद्धरण (कोटेशन) से सम्बन्धित विवरण निम्नवत हैः–

1.	दर आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी का पदनाम	कार्यपालक अभियंता सिंचाई प्रमण्डल सिकन्दरा।
2.	कार्य का नाम	सिंचाई प्रमण्डल सिकन्दरा अर्न्तगत खरीफ सिंचाई अवधि 2019 में विभिन्न स्थानों पर नहरों के संरचनाओं/बाँधों की मरम्मती/आकस्मिक कार्य हेतु सामग्रियों की आपूर्ति।
3.	कोटेशन के माध्यम से दर प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं समय	08.08.2019 के 3:00 बजे अपराह्ण तक
4.	तकनीकी बीड खोलने की तिथि एवं समय	08.08.2019 के 3:30 बजे अपराह्ण में इच्छुक व्यक्ति/कम्पनी/एजेंसी या उनके प्रतिनिधि के समक्ष।
5.	वित्तीय बीड खोलने की तिथि एवं समय	सक्षम पदाधिकारी द्वारा घोषित किया जाएगा।

4 कोटेशन दाता के द्वारा तकनीकि बीड एवं वित्तीय बीड से सम्बन्धित अभिलेखों को अलग–अलग लिफाफे में बंद कर तकनीकी बीड लिफाफा एवं वित्तीय बीड लिफाफा पर क्रमशः तकनीकी बीड लिफाफा एवं वित्तीय

बीड लिफाफा अंकित कर दोनों लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में बन्द करते हुए दर आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी के कार्यालय में समर्पित करेगे। प्रत्येक लिफाफे पर कोटेशन दाता का नाम, कार्य का नाम एवं मो0 न0 अंकित रहना अनिवार्य हैं।

तकनीकी बीड से सम्बन्धित अभिलेख

1 दर दाता/आपूर्ति कर्त्ता/व्यक्ति/कम्पंनी को राज्य/केन्द्र सरकार के सम्बन्धित सक्षम प्राधिकार के अधीन निबंधित होना अनिवार्य है। कोटेशन के साथ निबंधन प्रमाण पत्र की स्व-अभिप्रमाणित प्रति सलंग्न करना अनिवार्य होगा।

2 दर दाता व्यक्ति/कम्पनी को इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि उन्हें किसी नियोक्ता द्वारा कालीकृत नहीं किया गया है।

3 आपूर्तिकर्त्ता को GST के अन्तर्गत निबंधित एवं आयकर विभाग से सम्बन्धित PAN संलग्न करना अनिवार्य होगा। GST निबंधन प्रमाणपत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा। यदि GST अर्न्तगत आपूर्ति कर्त्ता को कोई छुट प्राप्त हो तो उसका प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा।

4 आपुर्ति कर्त्ता द्वारा आपूर्ति किए गए यंत्र सयंत्र का स्वयं के स्वामित्व का प्रमाण पत्र अथवा किसी से लीज पर लिया गया हो तो लिज एकरारनामा का स्वयं अभिप्रमाणित प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। निरीक्षण वाहन चालक के पास वैध ड्राइविंग लाईसेंस तथा वाहन का व्यवसायिक निबंधन आवश्यक होगा।

1. वाहन वित्तीय वर्ष 2019-2020 के 31 मार्च 2020 तक रखा जायेगा तथा यह अवधि विभागीय आदेशानुसार बढ़ाई भी जा सकती है। वाहन का वाणिज्य निबंधन अनिवार्य है।
2. वाहन का मॉडल 2017 के पूर्व का नहीं होना चाहिए एवं अच्छे हालत एवं कार्यरत अवस्था में होना चाहिए।
3. वाहन का दैनिक रख-रखाव (चालक सहित) एवं उसके सभी प्रकार की मरम्मति आदि पर होने वाले व्यय वाहन मालिक/फर्म द्वारा वहन किया जाएगा। चालक के वेतन का भुगतान वाहन मालिक/फर्म द्वारा ही किया जाएगा। सभी प्रकार के करों एवं अन्य शुल्क आदैयता की जिम्मेवारी वाहन मालिक की होगी।
4. वाहन का सभी कागजात, निबंधन टैक्स, बीमा आदि मोटरयान अधिनियम के अनुसार अद्यतन होना चाहिए।
5. वाहन चालक के पास अद्यतन ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है।
6. वाहन की चोरी या दुर्घटना अथवा अन्य क्षति होने पर चालक सहित जिम्मेवारी वाहन मालिक/फर्म की होगी।
7. वाहन का उपयोग के विरूद्ध किराया प्रतिमाह ईंधन रहित रू0 21500 (एकीस हजार पॉंच सौ) मात्र या वाहन मालिक-फर्म द्वारा उद्धत दर जो दोनों में से कम हो के आधार पर माह समाप्ति के पश्चात् विपत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त भुगतान किया जाएगा।
8. वाहन के उपयोग के लिए लॉग बुक का संधारण वाहन मालिक की जबाबदेही होगी जिसका उपयोग करने वाले पदाधिकारी यात्रा प्रयोग संबंधी आवश्यक प्रविष्टि करेंगे जिसके आधार पर भुगतान किया जाएगा।
9. ईंधन रहित प्रतिदिन न्युनतम दर के कोटेशनदाता के साथ एकरारनामा किया जाएगा और उन्हें वाहन उपलब्ध कराने का आदेश दिया जाएगा। सेवा संतोषजनक नहीं होने पर अथवा वाहन की आवश्यकता नहीं रहने पर कभी भी बिना कारण बताए एकरारनामा समाप्त किया जा सकता है।
10. कोटेशन आमंत्रण में भाग लेने हेतु 25,000/- (पचीस हजार रूपये) मात्र का राष्ट्रीय बचत पत्र / सावधि जमा जो कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, सिकन्दरा के पदनाम से प्रतिज्ञित हो, कोटेशन के साथ संलग्न करना होगा अन्यथा कोटेशन को अमान्य कर दिया जाएगा। कोटेशन अमान्य या आवंटित हो जाने पर उक्त राशि तुरन्त वापस कर दी जाएगी।
11. वाहन उपयोग हेतु 24 घंटे संबंधित पदाधिकारी के नियंत्रण में रहेगा। वाहन खराब हो जाने पर वाहन मालिक/फर्म का दायित्व होगा कि तुरन्त दुसरा वाहन उपलब्ध करायेंगे। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उस माह का भाड़े का भुगतान नहीं किया जाएगा और जमानत की राशि जब्त कर ली जाएगी।

इच्छुक वाहन मालिक/फर्म उक्त क्रमांक 1 से 11 तक शर्तों को स्वीकार करने से संबंधित अपना शपथ पत्र (नोटरी द्वारा निर्गत) एवं क्रमांक 4 एवं 5 संबंधित कागजात की सत्यापित प्रति कोटेशन के साथ समर्पित करेंगे। एक से अधिक सामान न्युनतम दर के कोटेशन प्राप्त होने पर दिनांक 08.08.2019 को 3:00 बजे अपराहण में बैद्य कोटेशनदाता के बीच लॉटरी के समय उपस्थित रहेंगे अन्यथा इनकी या इनके प्रतिनिधि की उपस्थिति के बिना भी लॉटरी किया जायगा तथा इस संबंध में कोई दावा मान्य नहीं होगा। शपथ पत्र एवं वांछित कागजात नहीं रहने पर कोटेशन अमान्य कर दिया जाएगा।

5 परिशिष्ट 'क' से संबंधित सभी अभिलेख।

वित्तीय बीड से सम्बन्धित अभिलेख

1कोटेशनदाता को अपनी कोटेशन में सभी मशीनरी के लिए अलग–अलग एवं साफ–साफ अक्षरों में संलग्न परिशिष्ट ख (i) एंव परिशिष्ट ख (ii) के अनुसार अपना दर अंकित करेगे जो शब्दों एवं अंको दोनों में होगा। दोनों में अन्तर पाए जाने पर शब्द में लिखा गया दर सही माना जाएगा।

अन्य शर्ते

1 सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत वैधानिक करो से सम्बन्धित परिपत्रों/नियमों का अनुपालन करना होगा। खनिज निर्माण समाग्रियों का रॉयल्टी भुगतान से सम्बन्धित आवश्यक एम0 एन0 फार्म सत्यापन सहित समर्पित करना आवश्यक होगा।

2 दर दाता द्वारा उद्धत्त दर मशीनरी का मौलिक दर (Basic Rate) पर अन्य लागू वैधानिक दर जोड़कर तथा कटौती योग्य कर की कटौती कर भूगतान किया जाएगा।

3 समाग्रियों का दर सभी समाग्रियों के आपूर्ति हेतु दर दाता द्वारा दिए गए अलग–अलग दरों में से जो निम्नतम दर के आधार पर तय किया जाएगा।

4 सक्षम पदाधिकारी के निर्देशन में ही समाग्रियों की आपूर्ति ली जाएगी एवं आपूर्ति कर्त्ता को आपूर्ति के पश्चात् भूगतान की कार्रवाई की जाएगी।

5 आपूर्तिकर्त्ता द्वारा आपूर्ति किए गए निम्न कोटि की अस्वीकृत सामग्री को आपूतिकर्त्ता द्वारा आपूर्ति स्थल से तुंरन्त हटा लिया जाएगा एवं हटवाने का खर्च स्वयं आपूर्तिकर्त्ता द्वारा वहन किया जाएगा। आपूर्तिकर्त्ता की इस सम्बन्ध में क्षति की जिम्मेवारी विभाग पर नहीं होगी।

6 कार्यपालक अभियंता सिंचाई प्रमण्डल सिकन्दरा को यह अधिकार होगा कि वे बिना कारण बताए भी सभी दर उद्धरण को आंशिक रूप से अथवा पूर्णतः अस्वीकृत कर सकते है।

7 सशर्त कोटेशन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

8 आपूर्ति किए गए मशीनरी के भाड़े का भुगतान कार्य पूर्ण होने के पश्चात् सम्बन्धित अवर प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा सत्यापित वास्तविक use hour के आधार पर किया जाएगा एवं विपत्र से नियमानुसार GST एवं अन्य वैधानिक करो की कटौती की जाएगी।

9 कोटेशन के सम्बन्ध में विशेष सूचना प्राप्त करने हेतु अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में (कार्यअवधि में) या दूरभाष सं0 7463889334 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

ह0/–

(ई0 रतनेस कुमार)
कार्यपालक अभियंता
सिंचाई प्रमण्डल सिकन्दरा

पत्रांक........784.........   सिकन्दरा, दिनांक 27/07/2019

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, सूचना एवं विज्ञान कार्यालय, ✓जमुई/लखीसराय को सूचनार्थ एवं जिला के बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु समर्पित।

27.7.19
(ई0 रतनेस कुमार)
कार्यपालक अभियंता
सिंचाई प्रमण्डल सिकन्दरा

27.7.19

परिशिष्ट–' क '

QUALIFYING BID (Techinical Bid)

1	Name of tendering Company/Firm/Agecy(Attach self Attested Copy of certificate of registration	
2	Nature of the concern (i.e. sole proprietor or partnership firm or a company under company act 1956)/Registration under WRD with Registration number.	
3	**Full Address of Reg. office** Telephone No FAX No. : E mail Address :	
4	**Full Address of operating/Branch office** Telephone No. FAX No. Email Address :	
5	**PAN /GIR** (Attach self-attested Copy)	
6	**GST Resgistration No .** (Attach self-attested copy)	
7	Income Tax return filed for the last two financial years' 2016-17 &2017-18 (Attach self-attested Copy)	
8	Whether each page of tender and its annexure have been self signed and stamped	
9	Additional information, if any (Attach separate sheet, if required)	

(Signature of the tenderer with stamp of the firm)

Signature and Stamp of the Contractor

परिशिष्ट 'ख' (i)

आकस्मिक कार्यों में प्रयुक्त होने वाले सामग्रियों की सूची मूल दर सहित

SL. No	Description of materials	Unit Per	Basic rate in Rs (without taxes , GST &Royality	Quoted Rate		Remarks
				In digits	In words	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Cement	Bag	253.00			
2.	Coarse sand	M^3	100.80			
3.	Local sand	M^3	66.85			
4.	Stone chips (20mm to 10mm	M^3	542.67			
5.	Stone chips (40mm nominal size)	M^3	341.08			
6.	Bricks	1000 No.	5243.00			
7.	Hume pipe (i) 300 mm dia (ii) 450 mm dia (iii)600 mm dia	 M M M	271.45 — 832.45			
8.	TMT Fe 500 (i) 8 mm dia (ii) 10 mm dia (iii) 12 mm dia (iv) 16 mm dia (v) 20 mm dia	 MT MT MT MT MT	 43644.00 42712.00 42119.00 42119.00 42119.00			
9.	निर्माण सामग्रियों की आपूर्ति सिंचाई प्रमंडल, सिकन्दरा से कार्य स्थल तक (कच्चा पक्का सहित) मार्ग से ढुलाई का दर प्रति ट्रेक्टर। (i)10Km. की परिधि में (ii)20Km. की परिधि में (iii)30Km.की परिधि में (iv)40Km.की परिधि में (v)50Km. की परिधि में	प्रति ट्रेक्टर।	 — — — — —			

कार्यपालक अभियंता
सिंचाई प्रमंडल,सिकन्दरा

परिशिष्ट ख (ii)

वर्ष 2019–20 में भाड़े पर रखे जाने वाले मशीनरी की सूची मूल दर सहित

SL. No	Description of Machine	Activity	Output of machine	output	Unit	Basic rate in Rs. (Without taxes GST & Royality)	Quoted Rate		Remarks
							In digits	In words	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Front End Loader 1.0 Cum bucket Capacity (JCB)	Soil loading/Aggregate Loading	Cum /hour	60 / 25	Per hour	1373.00			
2	Generator Set	Generation of electric energy	KVA	5	Per hour	1062.00			
3	Tractor	Pulling	Capacity in HP	50	Per hour	546.00			
4	Hydraulic excavator(Poclain)	Soil ordinary/Soil Marshy/Soil Unsuitable	Cum/ hour	60 / 60 / 60	Per hour	1958.00			
5	Inspection vehicle	–	–	–	Per Month	21500			Specify the type of vehicle & Rate

कार्यपालक अभियंता
सिंचाई प्रमंडल, सिकन्दरा